



Case No. 418/23  
Revised

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग  
**National Commission for Scheduled Tribes**

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)  
(A Constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

**SUMMONS**

फाइल सं.: NCST/ATY-904/MP/132/2023-RO-BH

श्री सत्येंद्र कुमार शुक्ल  
पुलिस अधीक्षक  
जिला - खंडवा -  
सिविल लाइंस  
खंडवा -450001 मध्य प्रदेश  
Email:spokhd@nic.in

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए निम्नलिखित मामलों का अन्वेषण करने का निश्चय किया है, अतः राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय सदस्य श्री अनंत नायक के समक्ष दिनांक **12/04/2023 को 11:30 AM** बजे, आयोग मुख्यालय, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में आपकी व्यक्तिगत उपस्थिति एतद्वारा अपेक्षित है। आप आयोग द्वारा जांच के लिए संबन्धित दस्तावेज़ अपने साथ लायें।

**मामलों का संदर्भ** -:श्रीमती उषा दांगोरे, ग्राममाकरला -, तहसील पंधाना -, जिला खण्डवा वेदन अभ्यासे प्राप्त (.प्र.म) - आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण की फिर से तथ्यपरक जांच करने तथा आवेदिका को सुरक्षा प्रदान करने बाबत।

**संदर्भ -1.** पुलिस अधीक्षक कार्यालय का पत्र क्रमांक-/आयोग/शिलि/वाखण्ड/अधी.पु/21-418-6- ए/23, दिनांक .16/02/2023.

**संदर्भ -2.** NCST Summons dated 31.03.2023.

यदि आप बिना किसी विधिसम्मत के कारण के आदेश का अनुपालन नहीं करते हैं तो आपको - सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XVI के नियम 12 में दिये गए अनुपस्थिति के परिणाम भुगतने होंगे।

दिनांक **05/04/2023** को मेरे हस्ताक्षर और सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की मोहर से दिया गया।

मोहर



हस्ताक्षर  
न्यायालय अधिकारी  
National Commission for Scheduled Tribes  
Loknayak Bhawan, New Delhi-110003